रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1970/आषाढ़ 1, 1892

No. 229] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1970/ASADHA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1970

S. O. 2204.—Whereas I, F. G. T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said Order.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September 1958, and in supersession of the notification, of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. S.O. 1096 dated the 17th March, 1970, I here by fix, with the prior concurrence of the Central

Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below with effect from the 23rd June, 1970, as follows :—

	ZONE 'A'			ZONE '(B)'		
	Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Utrar Pradesh, Chandigarh, Delhi and Himachal Pradesh.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Amindive Islands and Pondicherry.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) *In tin containers* (Net capacity in Kilogrammes)						
16·5. . .	89·69	95·33	96.65	89·45	95·08	96·40
15·0(*) . .	81·86	87·00	88·20	81·65	86·78	87·98
4·0 . . .	23·50	24·95	25·27	23·44	24·89	25·21
2·0 . . .	12·23	12·98	13·14	12·20	12·95	13·11
(b) *In returnable galvanised steel drums.* Per kilogramme net	5·44	5·78	..	5·42	5·76	..
(c) *Loose in small quantities.* Per kilogramme net	..	..	5·86	..	..	5·84

	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	Assam, Bihar, Orissa, West-Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Manipur, Nagaland, N.E.F.A. and Tripura			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) *In tin-containers* (Net capacity in kilogrammes) :						
16·5 . .	90·06	95·72	97·04	90·12	95·79	97·11
15·0(*) . .	82·20	87·36	88·56	82·27	87·43	88·63
4·0. . .	23·59	25·05	25·37	23·60	25·06	25·38
2·0. . .	12·27	13·02	13·18	12·28	13·03	13·19
(b) *In returnable galvanised steel drums* : Per kilogramme net .	5·46	5·80	..	5·47	5·81	..
(c) *Loose in small quantities* Per kilogramme net .	..	..	5·88	..	..	5·89

NOTE: (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

EXPLANATION.—In this notification,

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16·5 kilogrammes of vegetable oil product to any one consumer at a time.

(ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product,

(a) to a retailer in any quantity, or

(b) to a consumer exceeding 16·5 kilogrammes at a time.

[No. 12-2/70-C & P-III.]

F. G. T. MENEZES, Director (Vanaspati)

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1970

का० आ० 2204.—यतः मैं, एफ० जी० टी० मैनेजिज़, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश के अधीन को नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा, प्राधिकृत किया गया हूं ।

अतः, अब, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 892, तारीख 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक आदेश, 1947, के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1096 तारीख 17 मार्च, 1970 को अधिक्रांत करते हुये मैं, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनि-

विष्ट विभिन्न जोनों में 23 जून, 1970 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूं :—

	जोन 'क'			जोन 'ख'		
	हरियाणा, जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश			आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तामिल नाडु, लक्का-दीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी		
	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में :						
(किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
16.5	89.69	95.33	96.65	89.45	95.08	96.40
15.0(*)	81.86	87.00	88.20	81.65	86.78	87.98
4.0	23.50	24.95	25.27	23.44	24.89	25.21
2.0	12.23	12.98	13.14	12.20	12.95	13.11
(ख) लौटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में :						
प्रति किलो-ग्राम शुद्ध	5.44	5.78	..	5.42	5.76	..
(ग) खुला थोड़ी मात्रा में :						
प्रति किलो-ग्राम शुद्ध	..	..	5.86	..	..	5.84

	जोन 'ग'			जोन 'घ'		
	असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह मणिपुर, नागालैण्ड, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और त्रिपुरा			गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर, और नागर हवेली तथा गोवा दमण और दीव		
	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में :						
(किलोग्राम में शुद्ध धारिता)						
16.5	90.06	95.72	97.04	90.12	95.79	97.11
15.0(*)	82.20	87.36	88.56	82.27	87.43	88.63
4.0	23.59	25.05	25.37	23.60	25.06	25.38
2.0	12.27	13.02	13.18	12.28	13.03	13.19
(ख) लौटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में :						
प्रति किलोग्राम शुद्ध :						
	5.46	5.80	..	5.47	5.81	..
(ग) खुला थोड़ी मात्रा में :						
प्रति किलोग्राम शुद्ध :						
	..	..	5.88	..	..	5.89

टिप्पण : (1) (*) वातित कषालिटी—विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिये उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित है किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिये उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित है किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में —

(i) 'फुटकर विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अनधिक बनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

(ii) 'थोक विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो, (क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक बनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/70-सी एण्ड पी-II.]

एफ० जी० टी० मैनेजिंग, निदेशक (वनस्पति) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970